राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, बरेली

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, निवारण एवं प्रतितोष) निवारण समिति

POSH - Sexual Harassment (Prevention, Prohibition and Redressal)

पत्रांक: 392 /स्था०आदेश-सूचना/2026 दिनांक: 07.08.2026

॥ आवश्यक सूचना ॥

निदेशक महोदय के पत्रांक-1/699505/2026 जे०प्रशा०-109-विविध कानपुर दिनांक 24/07/2026 के अनुपालन एवं संस्था में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, निवारण एवं प्रतितोष) अधिनियम *(POSH)* के अंतर्गत, संस्था की समस्त छात्राओं व् महिला सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, उनकी लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, निवारण एवं प्रतितोष) POSH सम्बंधी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु **प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार** को एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा।

समय (Time):	पूर्वाहन 11:00 बजे
स्थान (Venue):	व्याख्यान कक्ष संख्या - 8 (Lecture Room No. 8)
अध्यक्षता (Chairperson):	प्रधानाचार्य महोदया
उपस्थिति (Attendees):	संस्था की समस्त महिला सदस्य, छात्राएं एवं समिति के सभी सदस्य

उक्त बैठक प्रधानाचार्य महोदया की अध्यक्षता में तथा समिति के सभी सदस्यों व् संस्था की समस्त महिला सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की व् संस्था की समस्त महिला सदस्यों की लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, निवारण एवं प्रतितोष) POSH सम्बंधी समस्याओं को सुनना एवं उनका समुचित व त्वरित समाधान निश्चित करना है।

अतः संस्था की समस्त छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार को नियत समय (पूर्वाहन 11:00 बजे) लेक्चर रूम-8 में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

समिति सदस्य:

1. श्रीमती नेहा श्रीवास्तव (संस्था समिति अध्यक्ष)
2. श्रीमती प्रीति सिंह (संस्था सदस्य)
3. श्रीमती शर्मिला (संस्था सदस्य)
4. डॉ० मधु गुप्ता (बाह्य सदस्य)

(नमिता वर्मा)
प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, बरेली

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / व्याख्याताओ को इस आशय से प्रेषित कि अपनी कक्षाओं की छात्राओं को सूचित करें।
2. समस्त समिति सदस्यों को पालनार्थ।
3. संस्था में कार्यरत समस्त महिला सदस्यों को इस आशय से प्रेषित कि वे ससमय व्याख्यान कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।
4. नोटिस बोर्ड (संस्था परिसर एवं छात्रावास)।
5. कार्यालय फ़ाइल।
6. श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर अनुदेशक को इस आशय से कि संस्था की बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।